कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID – cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No☎. 0788-2962380

//Request For Proposal (R.F.P.)//

//यूनीपोल स्थापना एवं विज्ञापन कार्य//

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत यूनीपोल स्थापना, संधारण एवं विज्ञापन हेतु R.F.P. के नियम एवं शर्ते तैयार की गई है जो कि निम्नानुसार है :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन हेतु स्वयं के व्यय से यूनीपोल स्थापना एवं विज्ञापन की अनुमति निगम के शर्तों पर की जावेगी जिसकी **अवधि 05 वर्ष** की होगी।
2. **R.F.P. तीन लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा "अ"** (1) **राशि ₹ 50,000.00 के अमानत राशि का F.D.R.** जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हुआ हो, आयुक्त के पक्ष में देय होगा। (2) **प्रपत्र मूल्य ₹ 2,000.00 का D.D.** (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति (4) **R.F.P.** दाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छाया प्रति (5) G.S.T. रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति (6) किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र रखना होगा। (7) **R.F.P.** दाता किसी भी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में काली सूची में नही होने संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। **लिफाफा "ब"** में **R.F.P.** डाउनलोड किये गये **R.F.P.** प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिख कर रखना होगा। **R.F.P.** दर में कॉट–छॉट नहीं होना चाहिए, दोंनो लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सील बंद कर जमा करना होगा। **लिफाफा "अ"** में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज़ पाये जाने पर ही **लिफाफा "ब"** (दर प्रपत्र का लिफाफा) खोला जायेगा। सभी दस्तावेज़ नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। **R.F.P.** के बड़े लिफाफे में प्रेषक की सम्पूर्ण विवरण संपर्क नम्बर स्पष्ट होना चाहिए एवं सीलबंद लिफाफे स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजना होगा।
3. चयनित एजेंसी द्वारा यूनीपोल का डिजाईन, ड्राईंग एवं स्टेबिलीटी (सुरक्षा मानक) रिपोर्ट किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा।
4. **R.F.P.** हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक **R.F.P.** फार्म भरना होगा, जिसमें समूह अनुसार अलग–अलग ग्रुप के युनीपोल हेतु दर भरना होगा। प्रत्येक ग्रुप में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जावेगा। अर्थात अलग–अलग समूह संलग्न पत्रक में अंकित समूह अनुसार अलग–अलग सफल निविदाकार हो सकते है।
5. **R.F.P.** दस्तावेज़ राशि **₹ 2,000.00 का** जमा कर निकाय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा निकाय की website **https://www.nagarnigambhilaicharoda.com** से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की स्थिति में **R.F.P.** दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय राशि **₹ 2,000.00 का Demand Draft** जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा **R.F.P.** दस्तावेज़ के साथ अमानत **राशि ₹ 50,000.00** का F.D.R. जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के पक्ष में देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।
6. **लिफाफा 'अ'** में प्रस्तुत दस्तावेज़ अनुसार प्रस्तुतकर्ता नियम एवं शर्तों के तहत् पात्र होने की स्थिति में दरों का **लिफाफा 'ब'** खोला जायेगा। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर **दिनाँक – 30.04.2025** को समय **शाम 05:00 बजे तक** स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समय–सीमा पश्चात् प्राप्त R.F.P. पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. विज्ञापन यूनीपोल स्थापना कार्य हेतु निर्धारित तिथि समय तक प्राप्त समस्त लिफाफों को **दिनाँक – 01.05.2025 अपरान्ह 03:00 बजे** प्रस्तुतकर्ताओं या उनके उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा कार्यालय में खोला जावेगा। इसके लिये पृथक से सूचना पत्र जारी नहीं किया जावेगा, सशर्त R.F.P. स्वीकार नहीं की जावेगी।

8. अनुबंध **05 (पाँच) वर्ष** की अवधि के लिए किया जायेगा तथा 01 वर्ष पश्चात् स्वीकृत वार्षिक R.F.P. दर में **10% (दस प्रतिशत)** की **क्रमोत्तर वृद्धि** की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में **प्रतिमाह 10% (दस प्रतिशत)** की दर से अधिभार लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त **31 मार्च** तक राशि जमा न करने पर निविदा, **03 (तीन)** सूचना उपरांत द्वितीय दर दाता को हस्तांतरित हो जायेगी एवं फर्म को आगामी R.F.P. से वंचित कर दिया जावेगा **05 (पाँच) वर्ष** के सफल संचालन के आंकलन पश्चात अगामी **05 (पाँच) वर्ष** तक समय को बढ़ाया जा सकता है।

9. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुये प्रथम वर्ष के किराया राशि का **50% (पचास प्रतिशत)** राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। समयावधि में इकरारनामा नही करने एवं कार्य प्रारंभ नही करने की स्थिति में R.F.P. निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। R.F.P. प्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से किराया लागू माना जावेगा R.F.P. **05 (पाँच) वर्ष** के लिए आमंत्रित की गई हैं परन्तु R.F.P. राशि R.F.P. प्रपत्र में **01 (एक) वर्ष** के लिए भरनी होगी। जो समस्त करो सहित होगा। शेष किराया राशि का **50% (पचास प्रतिशत)** राशि कार्यादेश दिनाँक से **03 (तीन) माह** के भीतर जमा करना होगा प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। भुगतान **03 (तीन) माह** से अधिक विलम्ब होने पर R.F.P. निरस्त किया जा सकेगा।

10. किसी भी R.F.P. को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के पास सुरक्षित है किसी भी विवाद की स्थिति में महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

11. यूनीपोल आंधी तुफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने या जन–धन की हानि होने पर स्वयं ज़िम्मेदार होने के संबंध में प्रस्तुतकर्ता को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनिमय) उपविधि 2012 के प्रारूप में वचनबद्ध ₹ 100.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटरी कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा, एजेंसी को विज्ञापन उपविधि 2012 तथा समय–समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा।

12. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार/एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयको का भुगतान उसे स्वयं करना होगा निर्मित यूनीपोल पर एजेंसी के द्वारा विज्ञापन फलक या विद्युत का कार्य किए जाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है उसकी समस्त जवाबदारी एजेंसी की होगी।

13. R.F.P. प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

14. अन्य दूसरे विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेंसी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

15. प्रस्तुतकर्ता एजेंसी स्थापित यूनीपोल में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओ एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।

17. अमानत राशि का F.D.R. R.F.P. स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की R.F.P. स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा F.D.R. को नियमानुसार (सफल निविदाकार को होने के पश्चात) मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार द्वारा अन्तर की अमानत राशि का F.D.R. जमा करना होगा। निविदाकार के सफल संचालन एवं संधारण की R.F.P. अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि बकाया राशि लेना शेष होगा तो उसे धरोहर राशि से कटौती कर शेष राशि वापस किया जावेगा।

18. R.F.P. दर G.S.T. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से G.S.T. राशि एजेंसी को देय नही होगा।

19. एजेंसी को नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के द्वारा विज्ञापन फलक लगाने की अनुमति अस्थायी रूप से **05 (पाँच) वर्ष** के लिए होगी। किसी भी प्रकार की नियमो का उलघन या प्रशासनिक असुविधा अथवा जनहित में होने से **07 (सात) दिवस** पूर्व सूचना देकर विज्ञापन हटा सकेगी। जिसका किसी भी प्रकार का हर्जाना या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार एजेंसी को नही होगा।

20. नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा एवं शासन के योजनाओं/अन्य आवश्यक सूचना के प्रचार–प्रसार करने हेतु आवश्यकतानुसार यूनीपोल में विज्ञापन निःशुल्क लगाया जाना एजेंसी का दायित्व होगा।

21. प्रस्तुतकर्ता एजेन्सी की दर में दर अनुसार वार्षिक किराया जमा करना अनिवार्य होगा। कार्य की मात्रा में कमी होने पर प्रस्तुत दर में किसी प्रकार की कमी नहीं की जावेगी, किन्तु कार्य की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रस्तुत दर में समानुपातिक रूप से वृद्धि की जावेगी, जो कि सर्वमान्य एवं बन्धनकारी होगा।

22. यूनीपोल स्थापना का कार्य सक्षम इंजीनियर की देख–रेख में कराया जाना आवश्यक होगा तथा उसका सत्यापन निकाय के अधिकृत उप–अभियंता द्वारा किया जाना होगा जिससे किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।

23. यूनीपोल हेतु स्थल का चयन एजेंसी, सहायक राजस्व अधिकारी एवं सहायक अभियंता के संयुक्त निरीक्षण उपरांत किया जाएगा।

24. यूनिपोल की अधिकतम आकार 26.00 X 15.00 Ft. रखना होगा एवं यूनीपोल स्थापना पश्चात् स्टेबिलीटी रिपोर्ट जो कि किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया हो को Executive Engineer से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

25. निविदादाता का नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में R.F.P. जारी दिनाँक तक विज्ञापन एजेन्सी की अधिकारिता का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

26. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की जवाबदारी संबंधित एजेंसी की होगी यदि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये यूनिपोल स्थापित किया जाता है,तो किसी प्रकार के विवाद में एजेंसी स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।

27. अनुबंध के **05 (पाँच) वर्ष** के उपरान्त गुण दोष के अधार पर नवीनीकरण का अधिकार नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को होगा उनके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वे मान्य व बंधनकारी होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

कार्य का नाम - R.F.P. द्वारा विभिन्न स्थानों में Unipole स्थापना कार्य

// दर पत्रक //

क्र	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दर	
		अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4
1	निकाय क्षेत्रान्तर्गत जी.ई. रोड एवं गौरवपथ में 20 नग यूनिपोल स्थापना कार्य (कार्य की मात्रा 20 x 26" x 15" = 7800 Sqft.)		

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

प्रस्तुतकर्ता नाम एवं सील
नाम
हस्ताक्षर
मोबा.नं.

The Office of Municipal Corporation Bhilai Charoda

E-mail - cmobhilaicharoda@gmail.com , web - www.nagarnigambhilaicharoda.com

Sno./ /PWD/2025 Bhilai Charoda ,date :-

Request For Proposal Expert Establishment Of Unipole At Besides G.E. Road & Gaurav Path Of Municipal Corporation, Bhilai-Charoda (1st Call)

RFP for **Unipole At Besides G.E. Road & Gaurav Path Of Municipal Corporation, Bhilai-Charoda** to be executed by Municipal Corproration, Bhilai Charoda.

I. RFP document containing detailed terms and conditions can be obtained from MCBC office on or before **30.04.2025** during office hours on payment of Rs. **2,000.00** (Two Thousand Rupees one thousand) by demand draft payable to the Commissioner, MCBC or can be downloaded from MCBC website www.nagarnigambhilaicharoda.com which can be submitted along with the prescribed demand draft.

II. The RFP proposals should be submitted so as to reach the office on or before 5.00 P.M. of **30.04.2025** along with an earnest money of Rs. 50,000.00 (Fifty Thousand Rupee Only) as FDR payable if favour of Commissioner, Municipal Corporation Bhilai-Ccharoda.

III. RFP documents or project details will be available at Office carriculum or can be dowloaded from official website i.e. https://www.nagarnigambhilaicharoda.com.

IV. The documents should only be submitted through speedpost/registered post on or before time. Lateral submission is not valid.

Commissioner
Municipal Corporation
Bhilai Charoda , Distt-durg ,C.G.

3 Col. x 6 c.m.